दिनाक 18.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–18 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मोहनलालगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध पिस्टल, 32 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.11.2020 को थाना मोहनलालगंज व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान छिबऊखेड़ा मोड़ के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी संजीव सागर उर्फ बन्टी घायल हो गया, जिसे एक अन्य बदमाश पप्पू उर्फ अवधेश के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 अवैध पिस्टल, 32 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संजीव उर्फ बंटी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 39 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त संजीव उर्फ बंटी कमिश्नरेट लखनऊ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—संजीव सागर उर्फ बन्टी नि0 राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ।

2—पप्पू उर्फ अवधेश नि0 शिवरी थाना काकोरी लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—01 अवैध पिस्टल, 32 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली हाटा</u>**
- **फर्जी तरीके से फाइनेन्स कम्पनी बनाकर ठगी करने वाले 05 अपराधी गिरफ्तार, 03 लाख 49 हजार 250 रूपये नगद**
- **02 कार, 03 लैपटाप, 07 मोबाइल फोन व चेक बुक आदि अन्य कागजात बरामद**

दिनांक 17.11.2020 को थाना कोतवाली हाटा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा भडकुलवा चौराहा एनएच—28 के पास से फर्जी तरीके से फाइनेन्स कम्पनी बनाकर ठगी करने वाले 05 अपराधी 1—सोनू, 2—विश्वजीत 3—रामनाथ, 4—सुदर्शन, 5—भास्कर रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 लाख 49 हजार 250 रूपये नगद, 02 आल्टो कार, 03 लैपटाप, 07 मोबाइल फोन व चेक बुक आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व थाना कोतवाली हाटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—508/2020 धारा 420/409/ 506/411 भादवि व 66डी आई0टी0एक्ट, मु0अ0सं0—509/2020 धारा 420/409/ 504/506/411 भादवि व 66डी आई0टी0एक्ट, मु0अ0सं0—510/2020 धारा420/409 /504/506/411 भादवि व 66डी आई0टी0एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी वार्ड नं0–3 जवाहरनगर कस्बा कसया थाना कसया जनपद कुशीनगर।

2–विश्वजीत निवासी देवतहा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर।

3–रामनाथ निवासी विशुनपुर ठूठी थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर।

4–सुदर्शन निवासी विशुनपुर ठूठी थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर।

4–भास्कर रवि निवासी श्रीनिवासनगर त्रिवानईकोईल थाना स्टेरंगम जिला तिरची तमिलनाडू हाल मुकाम ग्राम नौतन हथियागढ़ थाना रामपुरकारखाना जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–03 लाख 49 हजार 250 रूपये नगद,

2–02 आल्टो कार, 03 लैपटाप, 07 मोबाइल फोन व चेक बुक आदि।

जनपद इटावा/थाना इकदिल

- **चोरी की घटना का अनावरण, 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 लाख रू0 कीमत के चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 14,500 रू0 नगद आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2020 को थाना इकदिल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मानिकपुर मोड़ के पास से 04 अभियुक्तों 1–गौरव 2–भारत 3–आकाश 4– विनीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 लाख रू0 कीमत के चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण व चोरी के 14,500 रू0 नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानो पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2020 धारा 380 भादवि व थाना फ्रेन्डस कालोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 487/2020 धारा 380, 457 भादवि से संबंधित है।

इस संबंध में थाना इकदिल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौरव नि0 छिपरौली थाना बादलपुर जनपद गाजियाबाद।

2—भारत नि0 रामनगर थाना फ्रेन्डस कालोनी जनपद इटावा।

3—आकाश नि0 कबीरगंज तिराहा थाना कोतवाली जनपद इटावा।

4—विनीत नि0 करमगंज थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी

1—03 लाख रू0 कीमत के चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण।

2—चोरी के 14,500 रू0 नगद आदि।

जनपद मथुरा/थाना जमुनापार

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस, 05 खोखा कारतूस, 5200/- रू0 नगद, लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त टैम्पो आदि बरामद**

दिनांक 18.11.2020 को थाना जमुनापार, थाना वृन्दावन, थाना राया, व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मावली ग्राम के पास बदमाशो की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1- सचिन 2- धर्मेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे एक अन्य अभियुक्त शिवम के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस, 05 खोखा कारतूस, 5200/- रू0 नगद, लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त टैम्पो आदि बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातीर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जमुनापार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— सचिन निवासी सिद्धार्थ नगर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

2— धर्मेन्द्र निवासी सिद्धार्थ नगर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

3— शिवम निवासी काली मन्दिर के पास थाना सदर बाजार मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस, 05 खोखा कारतूस।

2— 5200/— रू0 नगद।

3—लूट का मोबाइल फोन।

3— घटना में प्रयुक्त टैम्पो आदि।

कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत प्रदेश में अब तक की गयी कार्यवाही

आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के उल्लंघन पर कुल 962 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 474 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

धारा–15(3) एवं 15(4)उ0प्र0महामारी अधिनियम व महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर मॉस्क आदि न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन आदि पर कुल 31 लाख 33 हजार 202 चालान किये गये।

धारा–15(5)उ0प्र0महामारी अधिनियम व महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 का उल्लघंन करने पर कुल 03 लाख 78 हजार 806 वाहनों का चालान किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा त्यौहारों आदि के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियत्रंण बनाये रखने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर दिनॉकः10.10.2020 से एक माह का अभियान चलाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है।

अभियान के दौरान पंजीकृत गैंग व गैंग के विरूद्ध कार्यवाही

1	प्रदेश में अभियान के दौरान पंजीकृत गैंगो की संख्या	124
2	कुल गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	294
3	गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	160
4	गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही संख्या	376
5	एन0एस0ए0 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	01
6	अन्य अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	193

दिनांक 10.10.2020 से 01 माह के अभियान के दौरान की गई निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण

1	गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	3540
2	गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	1678
3	एन0एस0ए0 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	38
4	अन्य अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	15919

- प्रदेश में अभियान के दौरान अवैध शराब की ब्रिकी/निर्माण/तस्करी में 8,342 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल **0**2 लाख, 18 हजार, 666 लीटर अवैध/अपमिश्रित शराब बरामद की गयी तथा 106 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।
- गैर प्रान्तों से अवैध शराब की तस्करी/ब्रिकी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में **2**74 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 40 हजार 14 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी।
- अवैध शस्त्र/फैक्ट्री/कारतूसों के सम्बन्ध में कार्यवाही

  कुल–3370 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

  कुल–**5**423 अवैध शस्त्र(अवैध बन्दूक/पिस्टल/रिवाल्वर व अन्य अग्नेयास्त्र)

  कुल–40 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गयी।

जनपद वाराणसी (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 05 करोड़ 49 लाख 57 हजार 600 रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त सुजीत सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 49 लाख 57 हजार 600 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद आजमगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 99 लाख 39 हजार 600 रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त ध्रुव उर्फ कुन्टू सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 99 लाख 39 हजार 600 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

————————